This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 13 मार्च, 2020 / 23 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 फरवरी, 2020

संख्या ई.डी.एन.–ए–ख (2)150 / 2010–लूज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में **प्राचार्य(महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–I** (राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये निमय राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.–**(1) अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0–ए0–ख(3)5 / 99 तारीख 18–03–2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप मे की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

————————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.–** प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग)

2 **पद (पदों) की संख्या.–** 132 (एक सौ बतीस)

3. **वर्गीकरण.–** वर्ग–I(राजपत्रित)

4. **वेतनमान.– ₹** 37400–67000+ **₹** 10000/- ग्रेड पे (01–01–2006 को या के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्राचार्यों को प्रारम्भिक आरम्भ **₹**43000/- के साथ)

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.–**चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.–** 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण.–(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) अन्यथा सूअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) अनिवार्य अर्हता.–(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से पचपन प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि (या जहां पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो, उसके अनुसार समतुल्य ग्रेड पांइन्ट स्केल में हो)

परन्तु अभ्यर्थी ने समबद्ध विषय का अध्ययन स्नातक स्तर पर अवश्य किया हो, के लिए ग्रेड प्वाईटस की समतुल्य प्रतिशतताः

ग्रेड	ग्रेड बिन्दु (पांईट)	समतुल्य प्रतिशतता
"ओ" उत्कृष्ट	5.50-6.00	75-100
"ए" अति उत्तम	4.50-5.49	65.74
"बी" उत्तम	3.50-4.49	55.64
"सी" औसत	2.50-3.49	45-54
"डी" औसत से निम्न	1.50-2.49	35-44
"ई" निकृष्ट	0.50-1.49	25-34
"एफ" असफल	0.00-0.49	0-24

(ii) संस्थान में सम्बन्धित सहबद्ध/सुसंगत विषय(यों) में पी0एच0डी0 की उपाधि सहित प्रकाशित कार्य और अनुसंधान मार्गदर्शन का साक्ष्य।

(iii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में अध्यापन/अनुसंधान/प्रशासन में पन्द्रह वर्ष के कुल अनुभव के साथ सहायक आचार्य हो।

(iv) निम्नलिखित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक(ए.पी.आई) आधारित उपलब्धि मूल्यांकन पद्धति(पी.बी.ए.एस) में यथा निहित ए.पी.आईज के प्रवर्ग–III (अनुसंधान और शैक्षणिक योगदान) से कम से कम चार सौ बिन्दुओं का न्युनतम सकेकित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक (ए.पी आई) स्कोरः–

प्रवर्ग–III शोध और शैक्षणिक योगदान संक्षप्ति स्पष्टीकरण.––शोध और शैक्षणिक योगदानों के लिए अध्यापकों का स्व–निर्धारण, ए.पी.आई. प्राप्तांक पर आधारित प्रस्तावित है। इस प्रवर्ग से अध्यापकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम ए.पीआई. प्राप्तांक हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रोन्नति में विभिन्न स्तरों के

लिए भिन्न–भिन्न है। स्व–निर्धारण प्राप्तांक सत्यापनीय मानदण्ड पर आधारित होगा और उसे जांच / चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्रम सं0	ए.पी.आईज	भाषा कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शारीरिक शिक्षा / प्रबंधन और इंजनियरिंग / कृषि / पशु चिकित्सा विज्ञान / विज्ञान / चिकित्सा विज्ञान के संकाय	महाविद्यालय अध्यापक की प्रास्थिति के लिए अधिकतम बिन्दु
III (क)	में प्रकाशित शोध पत्र	संदर्भित पत्रिकाएं (जर्नलज)	15 / प्रकाशन
		असंदर्भित किन्तु मान्यता प्राप्त और विख्यात पत्रिकाएं (जर्नलज) और कालिक पत्रिकाएं जिन पर आई.एस.बी.एन. / आई. एस.एस.एन. संख्याएं हो	10 / प्रकाशन
		सम्पूर्ण शोध पत्र आदि के साथ–साथ सम्मेलन कार्यवाहियां (सार सम्मिलित नही किए जाए)	10 / प्रकाशन
III (ख)	शोध पत्र प्रकाशन (संदर्भित पत्रिका) (जर्नल) लेख से अन्यथा पुस्तकों	किसी स्थापित समकक्ष समीक्षा प्रणाली के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सन्दर्भित पुस्तकों का मूल पाठ	50 / एकाकी लेखक, सम्पादित पुस्तक में दस अध्याय।
		राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों / आई. एस0बी0एन. / आई.एस.एस.एन. संख्याओं सहित राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित विषयक पुस्तकें।	25 / एकाकी लेखक और संपादित पुस्तक में दो अध्याय
		आई.एस.बी.एन. / आई.एस.एस. एन. संख्याओं सहित किसी अन्य स्थानीय प्रशासकों द्वारा विषयक पुस्तकें।	15 / एकाकी लेखक और संपादित पुस्तक में तीन अध्याय
		अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित संपादित ज्ञान आधारित जिल्दों के लिए योगदान के अध्याय।	10 / अध्याय
		आई.एस.बी.एन. / आई.एस.एस. एन. संख्याओं और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोशों सहित भारतीय / राष्ट्रीय स्तरीय प्रकाशकों में ज्ञान आधारित जिल्दों (वॉल्यूमज) में अध्याय।	5 / अध्याय
III (ग)	शोध प्रोजेक्टस		
III (ग)(I)	प्रायोजित प्रोजेक्टस कार्यान्वित / अविरत	(क) 5 लाख से अधिक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के मुख्य प्रोजेक्टस / विज्ञान के 30 लाख से अधिक	20 / प्रत्येक बिन्दु (विषय)

		के अनुदानों से जुटाई गई रकम की मुख्य परियोजनाएं।	
		(ख) 3.0 लाख से 5.0 लाख तक की न्यूनतम रकम से जुटाई गई रकम के मुख्य प्रोजेक्टस / विज्ञान के 5.0 लाख से 30.00 लाख तक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के मुख्य प्रोजेक्टस।	15 / प्रत्येक बिन्दु (विषय)
		(ग) 25 हजार से 3.0 लाख से अधिक अनुदानों से जुटाई गई रकम के लघु प्रोजेक्टस / विज्ञान के लिए 50000 से 5.0 लाख से अधिक अनुदानों से जुटाई गई रकम के लघु प्रोजेक्टस।	10 / प्रत्यके बिन्दु (विषय)
III(ग) (II)	विचारविमर्शी प्रोजेक्टस कार्यान्वित / अविरत	न्यूनतम 10.0 लाख से जुटाई गई रकम / विज्ञान के लिए न्यूनतम 10.0 लाख से जुटाई गई रकम	10 के लिए
III (ग) (III)	गुणवत्ता मूल्यांकन वाले सम्पूर्ण प्रोजेक्टस	सम्पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट (निधि अभिकरण द्वारा मंजूर) विज्ञान के लिए सम्पूर्ण प्रोजेक्टस रिपोर्ट(निधि अभिकरण से स्वीकृति)।	20 / प्रत्येक मुख्य प्रोजेक्टस और 10 / प्रत्येक लघु प्रोजेक्टस।
III (ग) (IV)	प्रोजेक्ट परिणाम / प्राप्तियां	केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी निकायों के मुख्य पॉलिसी दस्तावेज / विज्ञान / विज्ञान पेटेंट / प्रौद्यौगिकी अन्तरण / परिणाम / प्रक्रिया के लिए।	30 / प्रत्येक राष्ट्रीय स्तरीय परिणाम या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रत्येक 50 पेटेंट।
III (घ)	शोध मार्गदर्शन		
III (घ) (I)	एम.फिल.	केवल प्रदान की गई उपाधि	3 / प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए
III (घ) (II)	पी.एच.डी.	प्रदान की गई उपाधि	10 / प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए।
		प्रस्तुत शोध प्रबन्ध	7 / प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए।
III (ङ)	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सम्मेलन / सेमिनार / कार्यशाला शोध पत्र		
III(ङ)(i)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रणाली विज्ञान, कार्यशाला, प्रशिक्षण, शिक्षा प्राप्ति– मुल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, सरल दक्षता विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम "अधिकतम तीस बिन्दु (विषय)"	(क) दो सप्ताह की अवधि से अन्यून	20 / प्रत्येक
		(ख) एक सप्ताह की अवधि ।	10 / प्रत्येक
III (ङ)(ii)	सम्मेलनों / सेमिनारों /	निम्नलिखित में शोध पत्र(मौखिक / पोस्टर) की सहभागिता और	

	कार्यशालाओं आदि में पत्र।	प्रस्तुतिकरण :	
		(क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय	7.5 / प्रत्येक
		(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तरीय	5 / प्रत्येक
		(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय / कॉलेज स्तर	3 / प्रत्येक
III (ङ) (iii)	सम्मेलनों / परिसंवादों के लिए आमन्त्रित व्याख्यान या प्रस्तुतिकरण।	(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय स्तर	5 / प्रत्येक

*जब कभी किसी विनिर्दिष्ट विषय हेतु सुसंगत हो तो निर्दिष्ट पत्रिका में पेपर के लिए ए.पी.आई. स्कोर में निम्नानुसार वृद्धि की जाएगीः (i) अनुक्रमित पत्रिकाएं–5 बिन्दुओं द्वारा; (ii) 1 और 2 के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर दस बिन्दुओं द्वारा; (iii) 2 और 5 के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर पन्द्रह बिन्दुओं द्वारा; (iv) 5 और 10 बिन्दुओं के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर पच्चीस बिन्दुओं द्वारा।

**यदि सम्मेलन / सेमिनार में प्रस्तुत कोई पेपर कार्यवाहियों के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो, बिन्दु प्रकाशन (III)(क) के लिए ना कि प्रस्तुतिकरण (III) (ङ)(ii) के लिए प्रोद्भूत होंगे।

टिपण्ण.– 1. वर्ग–III अ और आ के अधीन पत्रिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं और प्रकाशकों की विषय–वार सूचियां छः मास के भीतर तैयार करना और प्रचारित करना विनियमों में प्रस्तावित समन्वय समिति और विश्वविद्यालय पर निर्भर होगा। ऐसे समय तक, छानबीन / चयन समितियां प्रकाशनों के वर्गीकरण और प्राप्तांक को निर्धारित और सत्यापित करेंगी।

2. संयुक्त प्रकाशनों के लिए ए.पी.आई. की गणना निम्नलिखित रीति में की जाएगीः संबद्ध शिक्षक द्वारा प्रकाशन के सुसंगत वर्ग के लिए कुल प्राप्तांक का प्रथम / प्रधान लेखक और शिक्षक का तत्स्थावी लेखक / पर्यवेक्षक / गुरू कुल बिन्दुओं का 60% समान साझा करेंगे तथा शेष 40% समस्त अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जायेंगेः

(ख) वांछनीय अर्हता.–हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.–आयु.–लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.––जैसी नीचे सतम्भ संख्या–11 के सामने निहित की गई है परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––*सीधी भर्ती के लिए.–*(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.– (i) 75% प्रोन्नति द्वारा (ii) 25% सीधी भर्ती द्वारा

11. प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति, / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानांतरण किया जाएगा.––सहायक / सह–आचार्य हिमाचल प्रदेश शिक्षा सेवा

(महाविद्यालय संवर्ग), मे से प्रोन्नति द्वारा जो पे–बैन्ड–IV में हो और जिन्होंने निम्नलिखित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक(ए.पी.आई)आधारित उपलब्धि, आधारित मूल्यांकन प्रणाली में यथा निहित श्रेणी I/II/III से न्यूनतम समेकित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक प्राप्तांक प्राप्त किए है और जिनका 20 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;–

श्रेणी–I अध्यापन, विद्या प्राप्ति और मूल्यांकन सबन्धी कार्यकलाप

संक्षिप्त स्पष्टीकरण.––शिक्षक के स्वतः निर्धारण पर निर्धारित ए.पी.आई. स्कोर(क) शिक्षण कार्यकलापः (ख) कार्यक्षेत्र (डोमेन) ज्ञानः (ग) परीक्षा और मूल्यांकन में भगीदारीः (घ) अभिनव शिक्षण, नये पाठ्यक्रम आदि में योगदान ।

इस श्रेणी से शिक्षकों से अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. स्कोर 75 है। स्वतः–निर्धारण स्कोर, जहां संभव हो, निष्पक्ष रूप से सत्यापन योग्य मानदण्डों पर आधारित होना चाहिए और इसे स्क्रीनिंग / चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

कार्यकलाप को विस्तृत करने के लिए महाविद्यालयों(कॉलेजों) की आवश्यकता होगी और संस्थागत विशिष्ठताओं की अपेक्षा की दशा में इस श्रेणी के अन्तर्गत अपेक्षित न्यूनतम कुल ए.पी.आई. अंको को बदले बिना, महत्व(वेटेजिज) को समायोजित करे।

क्रम संख्या	कार्यकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक
1.	व्याख्यांन, सेमिनार, टयूटोरियल, प्रयोग, अनुबन्ध घंटे आबंटित व्याख्यान के प्रतिशत के रूप में लिए जाते हैं।	50
2.	यू.जी.सी. मानदण्डों से अधिक व्याख्यान या अन्य शिक्षण कर्त्तव्य	10
3.	पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान / निर्देश तैयार करना और प्रदान करना, छात्रों को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके पाठ्यक्रम को संवर्धित करना	20
4.	सहभागी और अभिनव शिक्षण पद्धतियों का उपयोग; विषय सामग्री, पाठ्यक्रम में सुधार आदि का अदयतन ।	20
5.	आबंटन के अनुसार (अन्वीक्षण, प्रश्न पत्र की स्थापन, मूल्यांकन / उत्तर लिपियों का मूल्यांकन) परीक्षा कर्त्तव्य	25
	कुल स्कोर	125
	अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. स्कोर	**75**

टिप्पण.––शिक्षण की विशेष श्रेणी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडो के योग के लिए व्याख्यान और अनुशिक्षण आबंटन । महाविद्यालय न्यूनतम कट ऑफ (नियत अनुमति का शुद्ध) अर्थात उपरोक्त I और IV के लिए 80% विहित कर सकेगा जिसके नीचे इन उप श्रेणियों को कोई अंक नही दिया जा सकता है ।

श्रेणी–IIः सह–पाठ्यक्रम विस्तार और व्यावसायिक विकास कार्यकलाप

संक्षिप्त स्पष्टीकरण.––शिक्षक के स्वतः निर्धारण पर आधारित सह–पाठ्यक्रम और विस्तार कार्यकलापों और व्यावसायिक विकास से सबन्धित योगदान के लिए श्रेणी–II ए.पी.आई. प्राप्तांक है। प्रोन्नति के लिए पात्रता के लिए शिक्षकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. 15 है। मद् और प्रस्तावित प्राप्तांक की एक सूची नीचे दी गई है। यह देखा जाएगा कि सभी शिक्षक कई मदद्ों से स्कोर अर्जित कर सकते हैं, जबकि कुछ कार्यकलापों को केवल एक या कुछ ही शिक्षकों द्वारा कार्यन्वित किया जाएगा। कार्यकलापों की सूची सभी शिक्षकों को प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी में अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. का स्कोर(15) पर्याप्त है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, स्वतः–मूल्यांकन स्कोर वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य मानदंडो पर आधारित होगा और छानबीन / चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। नीचे दी गई मॉडल तालिका कार्यकलापों के समूह और ए.पी.आई. स्कोर दर्शाती है। इस श्रेणी के अधीन अपेक्षित न्यूनतम कुल ए.पी.आई. स्कोर को बदले

बिना, या यदि संस्थागत विशिष्ठताओं द्वारा अपेक्षित हो तो महाविद्यालय, महत्वों(वेटेज) को समायोजित करके कार्यकलापों को विस्तारित कर सकेंगे।

क्रम संख्या	कार्यकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक
1.	छात्र संबधित सह–पाठ्यक्रम, विस्तार और क्षेत्र आधारित कार्यकलाप (जैसे एन.एस.एस. / स्काऊटिंग / एन.सी.सी. और अन्य प्रणालियों के माध्यम से विस्तार कार्य, सांस्कृतिक कार्यकलाप विषय से सम्बन्धित कार्यक्रम, विज्ञापन और परामर्श)।	20
2.	निगमित जीवन चर्या में सहयोग और शैक्षणिक और प्रशासनिक समितियों और उत्तदायित्व मे भागीदारी के माध्यम से संस्थान का प्रबन्धन।	15
3.	वृत्तिक विकास गतिविधियों(जैसे सेमिनार, सम्मेलन, अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स, वार्तालाप, व्याख्यान संगमों की सदस्यता, प्रसार और प्रवर्ग–III में न आने वाले सामान्य लेख)।	15
	कुल प्राप्तांक	**50**
	अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. प्राप्तांक	**15**

प्रवर्ग–III शोध और शैक्षणिक योगदान

संक्षिप्त स्पष्टीकरण.––शोध और शैक्षणिक योगदान के लिए अध्यापकों का स्व–निर्धारण, ए.पी.आई. प्राप्तांक पर आधारित प्रस्तावित है।

इस प्रवर्ग से अध्यापकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम ए.पी.आई. प्राप्तांक हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में प्रोन्नति के विभिन्न स्तरों के लिए भिन्न–भिन्न है।

स्व–निर्धारण प्राप्तांक सत्यापनीय मानदंड पर आधारित होगा और उसे जांच / चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्रम संख्या	ए.पी.आईज.	भाषा–कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शारीरिक शिक्षा / प्रबंधन और इंजनियरिंग / कृषि / पशुचिकित्सा विज्ञान / विज्ञान / चिकित्सा विज्ञान के संकाय	महाविद्यालय अध्यापकों की प्रास्थिति के लिए अधिकतम बिन्दु
III(क)	में प्रकाशित शोध पत्र	संदर्भित प्रत्रिकाएं(जर्नलज)	15 / प्रकाशन
		असंदर्भित किन्तु मान्यता प्राप्त और विख्यात पत्रिकाएं(जर्नलज) और कालिक पत्रिकाएं जिन पर आई.एस.बी. एन. / आई.एस.एस.एन. संख्याएं हो।	10 / प्रकाशन
		सम्पूर्ण शोध पत्र आदि के साथ–साथ सम्मेलन कार्यवाहियों(सार सम्मेलित नही किए जांए)।	10 / प्रकाशन
III (ख)	शोध पत्र प्रकाशन (संदर्भित पत्रिका (जर्नलज), लेख से अन्यथा पुस्तकें, पुस्तकों के अध्याय)	किसी स्थापित समकक्ष समीक्षा प्रणाली के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सन्दर्भित पुस्तकों का मूल पाठ।	50 / एकाकी लेखक, संपादित पुस्तक में 10 / अध्याय ।
		राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों / आई.एस.	25 / एकाकी लेखक और

		बी.एन. / आई.एस.एस.एन. संख्यों सहित राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित विषयक पुस्तकें।	संपादित पुस्तक में 5 / अध्याय ।
		आई.एस.बी.एन. / आई.एस.एस.एन. संख्याओं सहित किसी अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयक पुस्तकें।	15 / एकाकी लेखक और संपादित पुस्तक में 3 / अध्याय ।
		अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित संपादित ज्ञान आधारित जिलदों के लिए योगदान के अध्याय।	10 / अध्याय
		आई.एस.बी.एन. / आई.एस.एस.एन. संख्याओं और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोषों सहित भारतीय / राष्ट्रीय स्तरीय प्रकाशकों में ज्ञान आधारित जिलदों (वाल्यूम) में अध्याय।	5 / अध्याय
III(ग)	शोध प्रोजेक्टस		
III(ग) (I)	प्रायोजित प्रोजेक्टस कार्यान्वित / अविरत	(क) 5 लाख से अधिक के अनुदानों से जुटाई गई रकम की मुख्य प्रोजेक्टस / विज्ञान के 30 लाख से अधिक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के मुख्य प्रोजेक्टस।	20 / प्रत्येक बिन्दु(विषय)
		(ख) 3.0 लाख से 5.0 लाख तक की न्यूनतम रकम से जुटाई गई मुख्य प्रोजेक्टस / विज्ञान के 5.0 लाख से 30.00 लाख तक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के मुख्य प्रोजेक्टस	15 / प्रत्येक बिन्दु(विषय)
		(ग) 25 हजार से 3.0 लाख तक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के लघु प्रोजेक्टस / विज्ञान के लिए 50000 से 5.0 लाख तक के अनुदानों से जुटाई गई रकम के लघु प्रोजेक्टस।	10 / प्रत्येक बिन्दु(विषय)
III(ग) (II)	विचारविमर्शी प्रोजेक्टस कार्यान्वित / अविरत	न्यूनतम 10.0 लाख से जुटाई गई रकम / विज्ञान / विज्ञानों के लिए न्यूनतम 10.0 लाख से जुटाई गई रकम।	2.0 लाख रुपये प्रत्येक 10 के लिए
III (ग) (III)	गुणवत्ता मूल्यांकन वाले सम्पूर्ण प्रोजेक्टस	सम्पूर्ण प्रोजेक्टस रिपोर्ट (निधि अभिकरण द्वारा मंजूर) विज्ञान के लिए सम्पूर्ण प्रोजेक्टस रिपोर्ट(निधि अभिकरण से स्वीकृति)।	20 / प्रत्येक मुख्य प्रोजेक्टस और 10 / प्रत्येक लघु प्रोजेक्टस।
III (ग) (IV)	प्रोजेक्टस परिणाम / प्राप्ति	केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी निकायों के मुख्य पॉलिसी दस्तावेज / विज्ञान पेटेंट / प्रोद्यौगिकी अन्तरण / परिणाम प्रक्रिया के लिए।	30 / प्रत्येक राष्ट्रीय स्तरीय परिणाम या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रत्येक 50 / पेटेंट।
III(घ)	शोध मार्गदर्शन		
III (घ) (I)	एम.फिल.	केवल प्रदान की गई उपाधि	3 / प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए
III (घ)	पी.एच.डी.	प्रदान की गई उपाधि	10 / प्रत्येक अभ्यर्थी के

(II)			लिए।
		प्रस्तुत शोध प्रबन्ध	7 / प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए
III (ङ)	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सम्मेलन / सेमिनार / कार्यशाला शोध पत्र		
III (ङ) (i)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रणाली विज्ञान, कार्यशाला, प्रशिक्षण, शिक्षा प्राप्ति–मूल्यांकन प्रौद्यौगिकी कार्यक्रमों, सरल दक्षता विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम [अधिकतम तीस बिन्दु (विषय)]	(क) दो सप्ताह की अवधि से अन्यून	20 / प्रत्येक
		(ख) एक सप्ताह की अवधि।	10 / प्रत्येक
III (ङ) (ii)	सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं आदि में पत्र	निम्नलिखित में शोध पत्र(मौखिक / पोस्टर) की सहभागिता और प्रस्तुतिकरण :	
		(क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय	7.5 / प्रत्येक
		(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तरीय	5 / प्रत्येक
III (ङ) (iii)	सम्मेलनों / परिसंवादों के लिए आमन्त्रित व्याख्यान या प्रस्तुतिकरण	(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय स्तर	5 / प्रत्येक

*जब कभी किसी विनिर्दिष्ट विषय हेतु सुसंगत हो तो, निर्दिष्ट पत्रिका में पेपर के लिए ए.पी.आई. स्कोर में निम्नानुसार वृद्धि की जाएगीः (i) अनुक्रमित पत्रिकाएं–5 बिन्दुओं द्वारा; (ii) 1 और 2 के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर दस बिन्दुओं द्वारा; (iii) 2 और 5 के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर पन्द्रह बिन्दुओं द्वारा; (iv) 5 और 10 बिन्दुओं के मध्य प्रभाव कारक सहित पेपर पच्चीस बिन्दुओं द्वारा।

**यदि सम्मेलन / सेमिनार में प्रस्तुत कोई पेपर कार्यवाहियों के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो, बिन्दु प्रकाशन (III)(क) के लिए ना कि प्रस्तुतिकरण (III) (ङ) (ii) के लिए प्रोद्भूत होंगे।

टिपण्ण.––1. वर्ग–III अ और आ के अधीन पत्रिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं और प्रकाशकों की विषयवार सूचियां छः मास के भीतर तैयार करना और प्रचारित करना विनियमों में प्रस्तावित समन्वय समिति और विश्वविद्यालय पर निर्भर होगा। ऐसे समय तक, छानबीन / चयन समितियां प्रकाशनों के वर्गीकरण और प्राप्तांक को निर्धारित और सत्यापित करेंगी।

2. संयुक्त प्रकाशनों के लिए ए.पी.आई. की गणना निम्नलिखित रीति में की जाएगीः संबद्ध शिक्षक द्वारा प्रकाशन के सुसंगत वर्ग के लिए कुल प्राप्तांक का प्रथम / प्रधान लेखक और शिक्षक का तत्स्थायी लेखक / पर्यवेक्षक / गुरू कुल बिन्दुओं का 60% समान साझा करेंगे तथा शेष 40% समस्त अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जायेंगेः

परंतु प्रधानाचार्य(महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–I (राजपत्रित) के पदों को भरने हेतु निम्नलिखित 04 बिन्दु रोस्टर को अनुसारित किया जाएगाः–

रोस्टर बिन्दु संख्या	वर्ग
पहला	प्रोन्नत व्यक्ति
दूसरा	प्रोन्नत व्यक्ति
तीसरा	प्रोन्नत व्यक्ति
चौथा	सीधी भर्ती

टिप्पण.––रोस्टर प्रत्येक 4 बिन्दु के पश्चात् तब तक चक्रानुक्रमित किया जाएगा जब तक दी गई प्रतिशतता द्वारा समस्त प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात् रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त हुआ है।

(I) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाए उपरोक्त परन्तुक(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापित पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नही होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्याकाल तक सेवा नही की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–I.––उपरोक्त परन्तुक(1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम और दुरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्कताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–II.––उपरोक्त परन्तुक(1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दुरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा कवार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बडाभंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौणा और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाड़ा गुसांई, मठयाणी, धनयाड, थाची, बागी, सोमगार्ड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सील्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूनी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

स्पष्टीकरण–III.––उपर्युक्त परन्तुक(1) के प्रयोजन के लिए कठिन/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

(i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से बीस किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नही है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान मे लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल(तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और की उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान शस्त्रबल में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल(रिजरवेशन ऑफ वैकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टेक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन(रिजरवेशन ऑफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्पतिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7 में दिए गए पी.बी.ए.एस. आधारित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक मानदण्ड और अभ्यर्थियों के मुख्य पांच प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण पर आधारित समस्त सरकारी महाविद्यालयों में अध्यापकों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए उपलब्धि आधारित मूल्यांकन प्रणाली(पी.बी.ए.एस.) सम्यक रूप से भरे गए प्रपत्र में जीवन–वृत्त सहित आमंत्रित करना अन्तर्वलित होगाः

परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रकाशनों को उस अवधि से पश्चात्वर्ती अवधि में प्रकाशित किया जाएगा जिससे अध्यापक को सहायक आचार्य चरण–II के रूप में रखा गया था।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गठित जांच एवं मूल्यांकन समिति जांच प्रक्रिया आरम्भ करते समय पी.बी.ए.एस. में शैक्षणिक उपलब्धि सूचक प्राप्तांक सत्यापित / मूल्यांकित करेगा।

जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की गई सम्यक् जांच प्रक्रिया के पश्चात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्यों या उनके दो प्रतिनिधि या नामनिर्देशिति, दो प्रख्यात शिक्षाविद् और तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हो(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों, अल्प संख्यक / महिलाओं / विशेष रूप से अक्षम प्रवर्गों से उपरोक्त किसी सदस्य के न होने पर से मिलकर बनने वाली चयन समिति और इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थी यदि आवेदक हैं तो इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला विद्याविद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे) निम्न प्रकार से अंतिम चयन करेंगेः–

(क) शैक्षणिक पृष्ठभूमि (20 %)

(ख) ए.पी.आई. प्राप्तांकों पर(40%) आधारित शोध पत्र उपलब्धि और प्रकाशनों की गुणवत्ता

(ग) कार्यक्षेत्र ज्ञान और अध्यापन दक्षता (20 %) का निर्धारण।

यह निर्धारधण निम्न प्रकार से किया जाएगाः–

(i) अध्यापन शोध और प्रबन्धन के लिए अभीवृत्ति का निर्धारण (20 %);

(ii) स्पष्टतया और प्रभाव पूर्ण ढंग से प्रकट करने (बताने / समझाने) की क्षमता (10 प्रतिशत);

(iii) संस्थागत कार्यक्रमों, विश्लेषण, पाठ्यचर्या विकास पर चर्चा करने, शोध सहायता और महाविद्यालय विकास / प्रबन्धन(20 %);

(iv) समूह चर्चा में अभ्यिर्थियों की सहभागिता की अपेक्षा करते हुए निर्धारण किए जाने वाले व्याख्यान कार्यक्रमों या व्याख्यान द्वारा कक्षा को अभिव्यक्तिकरण(10%); और

(v) उपलब्धि आधारित मूल्यांकन पद्धति (पी.बी.ए.एस.) जिसका प्रपत्र सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा, पर अभियर्थियों के गुणागुण(मैरिट) और प्रत्ययपत्रों का विश्लेषण (कुल शैक्षणिक उपलब्धि सूचक(ए.पी.आई.) प्राप्तांक में 40% की कमी की जाएगी):

परन्तु यह कि ऐसे प्रकाशन, साक्षात्कार और प्रकाशनों के मूल्यांकन के लिए, विशेषज्ञ द्वारा विषय– विशेषज्ञ को उपलब्ध करवाए जांएगे और चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय अधिप्रतिनिधित्व प्राप्तांक के लिए कारक होंगे।

(घ) साक्षात्कार उपलब्धि (20 %)

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगा / सकेगी।

––––––––––

[*Authoritative English Text of Notification No.EDN-A-Kha(2)-150/2010-loose dated 27-02-2020, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 27th *February,* 2020

No. EDN-A-Kha (2)-150/2010-loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of **Principal (College cadre), Class-I** (Gazetted) in the Higher Education Department, H.P. as per Annexure "A" attached to this notification; namely:—

1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Principal (College cadre), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Education Department, Principal, College Cadre, (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified *vide* notification No.EDN-A-Kha(3)-5/99 dated 18-03-2004, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Hr. Education).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINCIPAL, COLLEGE CADRE (CLASS-I, GAZETTED), FOR GOVERNMENT COLLEGES IN HIGHER EDUCATION DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of Post.—**Principal (College Cadre).

2. **Number of post.—**132 (One hundred and thirty two).

3. **Classification.—**Class-I (Gazetted).

4. **Scale of Pay.—**₹ 37400—67000 + ₹ 10000/- Grade Pay (With initial start ₹ 43000/- to directly recruited Principals on or after 01-01-2006).

5. **Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—**Selection.
6. **Age for direct recruitment.—**Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies.

Note.—(*i*) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be

(*ii*) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (*a*) *Essential Qualifications:*—(*i*) A Master's Degree with atleast 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) by a recognized University:

Provided that the candidate must have studied the concerned subject at the Graduation level: Percentage equivalent of grade points for a seven points scale:

	Grade	**Grade Point**	**Percentage Equivalent**
7	´O'-Outstanding	5.50-6.00	75—100
6	´A'-Very Good	4.50-5.49	65—74
5	´B'-Good	3.50-4.49	55—64
4	´C'-Average	2.50-3.49	45—54
3	´D'-Below Average	1.50-2.49	35—44
2	´E'-Poor	0.50-1.49	25—34
1	´F'-Fail	0.0—49	0—24

(*ii*) A Ph.D Degree in concerned/allied/relevant discipline(s) in the institution concerned with evidence of published work and research guidance.

(*iii*) Associate Professor with a total experience of fifteen years of teaching/research/ administration in Universities, Colleges and other institutions of higher education duly recognized by the Central/HP Government.

(*iv*) A minimum Consolidated Academic Performance Indicator (API) score of 400 points from category III (Research and Academic Contributions) of APIs as stipulated in the following Academic Performance Indicator (API) based Performance Appraisal System (PBAS):—

CATEGORY-III

RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Brief Explanation.—Based on the teacher's self assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion in Government Colleges of HP. The self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

Sl. No.	APIs	Faculties of Language Arts/ Humanities/Social Sciences/Library/Physical Education/Management and Engineering/ Agriculture/Veterinary Science/Sciences/Medical Sciences.	Maximum points for College teacher position
III(a)	Research Papers Published in:	Referred Journals*	15/Publication
		Non-referred but recognized and reputed journals and periodicals, having ISBN/ISSN numbers.	10/Publication
		Conference proceedings as well as full papers, etc. (Abstract not to be included) .	10/Publication
III(b)	Research, Publications (books, other than referred, journal articles)	Text of Reference Books published by International publishers. With an established peer review system.	50/sole author, 10/chapter in edited Book.
		Subjects Books by National level publishers/ State and Central Government publications with ISBN/ISSN numbers.	25/sole author, and 2/Chapter in edited Book.
		Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN number.	15/sole author, and 3/Chapter in edited Book.
		Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by International publishers.	10/Chapter

		Chapters in knowledge based volumes in Indian/ National level publishers with ISBN/ISSN numbers of national and International directories.	5/Chapter
III(c)	RESEARCH PROJECTS		
III(c) (i)	Sponsored projects carried out/ ongoing	(*a*) Major projects amount mobilized with grants above 5.0lakhs. For Science/Sciences Major Projects amount Mobilized with grants above 30.00 lakhs.	20/Each Points
		(*b*) Major projects amount mobilized with minimum of Rs. 3.0 lakh upto Rs. 5.00 lakh. For Science/Sciences major projects amount mobilized with grants above Rs 5.00 lakh upto Rs. 30.00 lakh.	15/Each Points
		(*c*) Minor projects amount mobilized with grants above Rs. 25,000 upto Rs. 3.00 lakh. For Science/Sciences Minor projects (amount mobilized with grants above Rs 50,000/- upto Rs. 5.00 lakhs.	10/Each Points
III (c) (ii)	Consultancy Projects carried out/ongoing	Amount mobilized with minimum of Rs. 10.00 Lakh. For Science/ Sciences amount Mobilized with Minimum of Rs. 10.0 lakhs.	10 per every Rs. 2.0 lakhs.
III (c) (iii)	Completed projects quality evaluation	Completed project Report (Accepted by funding agency) For Science/Sciences Completed Projects Report (Acceptance from funding agency).	20/each Major project and 10/each Minor project.

III (c) (iv)	Project outcome/ outputs	Major Policy Document of Government Bodies at Central and State level. For Science/ Sciences Patent/Technology transfer/Product/Process	30/each National level output or patent 50/ each for international level.	
III (d)	RESEARCH GUIDANCE			
III(d) (i)	M.Phil	Degree awarded only	3/ each candidate	
III (d) (ii)	Ph.D	Degree awarded	10/each candidate	
		Thesis submitted	7/each candidate	
III(E)	TRAINING COURSES AND CONFERENCE/SEMINAR/WORKSHOP PAPERS			
III(E) (i)	Refresher courses, Methodology, workshop, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills developent Programmes, Faculty development programmes (Max. 30 points)	(*a*) Not less than two weeks duration.	20/each	
		(*b*) One week duration.	10/each	
III(E) (ii)	Papers in Conferences/ Seminars/Work shops etc.	Participation and presentation of research papers (oral/poster) in		
		(*a*) International Conference	10/each	
		(b) National	7.5/each	
		(*c*) Regional State Level	5/each	

		(*d*) Local-University/ College level	3/each
III(E) (iii)	Invited lectures or presentation for confere-nces/ symposia	(*a*) International Level	10/each
		(*b*) National Level	5/each

*Whenever relevant to any specific discipline, the API score for paper in referred journal would be augmented as follows: (*i*) indexed journals-by 5 points; (*ii*) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (*iii*) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor 5 and 10 by 25 points.

**If a paper presented in conference/seminar is published in the form of Proceedings, the points would accrue for the publication [III (a) not under presentation]III (e) (ii)).

Notes.—1. It is incumbent on the Coordination Committee proposed in the Regulations and the University to prepare and publicize within six months subjects-wise lists of journals, periodicals and publishers under categories III A and B. Till such time, screening/selection committees will assess and verify the categorization and scores of publications.

2. The API for joint publications will have to be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the first/Principal author and the corresponding author/supervisor/mentor of the teacher would share equally 60% of the total points and the remaining 40% would be shared equally by all other authors.

(b) **Desirable Qualification**.—Knowledge of customs/manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age:*—Not Applicable.

Educational Qualification:— As prescribed against Column No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—*DIRECT RECRUITMENT:*—(*a*) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*b*) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—(*i*) 75% by promotion.

(*ii*) 25% by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant/Associate Professor, Himachal Pradesh Education Services (College Cadre) who are in the Pay Band-IV and have scored minimum Consolidated Academic Performance Indicator (API) score from Category- I/II/III as stipulated in the following Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) with 20 years regular or regular **combined with continuous** adhoc **service**, if any, in the grade:—

CATEGORY-I

TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES

Brief Explanation.—Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching activities; (b) domain knowledge; (c) participation in examination and evaluation; (d) contribution to innovative teaching, new courses etc. The minimum API score required by teachers from this category is 75. The self assessment score should be based on objectively verifiable criteria wherever possible and will be finalized by the screening/selection committee.

Colleges will be required to detail the activities and in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this categopry.

Sl. No.	Nature of activity	Maximum Score
01	Lecturers, seminars, tutorials, practical's, contract hours undertaken as percentage of lectures allocated*	50
02	Lecturers or other teaching duties in excess of the UGC norms.	10
03	Preparation and imparting of knowledge/instruction as per curriculum; syllabus enrichment by providing additional resources to students.	20
04	Use of participatory and innovative teaching learning methodologies; updating of subject content, course improvement etc.	20
05	Examination duties (Invigilation; question paper setting, evaluation/assessment of answer scripts) as per allotment.	25
	Total Score	125
	Minimum API Score Required	75

Note:* Lectures and tutorials allocation to add up to the UGC norm for particular category of teacher. College may prescribe minimum cut-off (net of due leave), say 80% for l and 5 above, below which no scores may be assigned in these sub-categories.

CATEGORY-II

CO-CURRICULAR, EXTENSION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES

Brief Explanation.—Based on the teacher's self-assessment, category-II API scores are proposed for co-curricular and extension activities and Professional development related contributions.

The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is 15. A list of items and proposed scores is given below. It will be noticed that all teachers can earn scores from a number of items, whereas some activities will be carried out only by one or a few teachers. The list of activities is board enough for the minimum API score required (15) in this category to accrue to all teachers. As above, the self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

The model table below gives groups of activities and API scores. Colleges may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this category.

Sl. No.	Nature of activity	Maximum Score
01	Student related co-curricular, extension and field based activities (such as extension work through NSS/Scouting/NCC and other channels, cultural activities, subject related events, advertisement and counselling)	20
02	Contribution to Corporate life and management of the institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities.	15
03	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category-III)	15
	Total Score	50
	Minimum API Score Required	15

CATEGORY-III

RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Brief Explanation.—Based on the teacher's self assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion in Government Colleges of HP. The self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

Sl. No.	**APIs**	**Faculties of Languages Arts/Humanities/Social Sciences/Library/Physical Education/Management and Engineering/Agriculture/Vete-rinary Science/ Sciences/ Medical Sciences.**	**Maximum points for College teacher position**
III (a)	Research Papers Published in:	Refereed Journals*	15/Publication
		Non-referred but recognized and reputable journals and periodicals, having ISBN/ISSN numbers.	10/Publication
		Conference proceedings as well as full papers etc. (Abstract not to be included)	10/Publication
III (b)	Research Publications (books, chapters in books,other than refereed, journal articles)	Text of Reference Books Published by International Publishers, with an established peer review system.	50/sole, author, 10/chapter in edited book.
		Subjects Books by National Level publishers/State and Central Government publications with ISBN/ISSN numbers.	25/sole author, and 5/chapter in edited book.

		Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN number	15/sole author, and 3/Chapter in edited books.
		Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by international Publishers.	10/Chapter.
		Chapters in knowledge based volumes in Indian/National level publishers with ISBN/ISSN numbers and with numbers of national and international directories.	5/Chapter.
III (c)	RESEARCH PROJECTS		
III (c) (i)	Sponsored Projects carried out/ ongoing	(a) Major Projects amount mobilized with grants above 5.0 lakhs. For Science/Sciences Major Projects amount mobilized with grants above 30.0 lakhs.	20/Each Points
		(b) Major Projects amount mobilized with minimum of Rs. 3.00 lakhs upto 5.0 lakhs. For Science/ Sciences Major Projects amount mobilized with grants above 5.00 lakhs upto 30.00 lakhs.	15/Each Points
		(c) Minor Projects amount mobilized with grants above Rs. 25,000 upto Rs. 3.00 lakhs. For Science/Sciences Minor Projects amount mobilized with grants above Rs. 50,000/- upto Rs. 5.00 lakhs.	10/Each Points

III(c) (ii)	Consultancy Projects carried out/ongoing	Amount mobilized with minimum of Rs. 10.00 lakh. For Science/Sciences amount mobilized with minimum of Rs. 10.00 lakhs.	10 per every Rs. 2.00 lakhs.
III (c) (iii)	Completed Projects Quality Evaluation	Completed Project report (Accepted by funding agency) For Science/Sciences Completed Projects report (Acceptance from funding agency)	20/each major project and 10/each minor project.
III (c) (iv)	Projects Outcome/Out-puts	Major Policy document of Government Bodies at Central and State level. For Science/ Sciences Patent/ Technology transfer/Product/ Process.	30/each national level output or patent 50/each for international level.
III(d) RESEARCH GUIDANCE			
III (d) (i)	M. Phil	Degree awarded only	3/each candidates.
III (d) (ii)	Ph.D	Degree awarded	10/each candidate
		Thesis submitted	7/each candidate
III (E)	TRAINING COURSES AND CONFERENCE/SEMINAR/WORKSHOP PAPERS		
III(E) (i)	Refresher courses, Methodology, workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes, Faculty development Programmes	(a) Not less than two weeks duration.	20/each
		(b) One week duration	10/each

	(Max.30 points)		
III (E) (ii)	Papers in Conferences/ Seminars/Workshops etc.	Participation and Presentation of research papers (oral/poster) in:	
		(*a*) International conference	10 /each
		(*b*) National	7.5 /each
		(*c*) Regional/State level	5/each
III (E) (iii)	Invited lecturers or presentations for conferences/ symposia	(a) International	10/each
		(b) National level	05/each

*Whenever relevant to any specific discipline, the API score for paper in referred journal would be augmented as follows: (*i*) indexed journals-by 5 points: (*ii*) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points: (*iii*) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points: (*iv*) papers with impact factor 5 and 10 by 25 points.

**If a paper presented in conference/Seminar is published in the form of Proceedings, the points would accrue for the publication (III (a) and not under presentation (III (e) (ii)).

Notes.—1. It is incumbent on the Co-ordination Committee proposed in the Regulations and the University to prepare and publicize within six months subjects-wise lists of journals, periodicals and publishers under categories III A and B. Till such times, screening/selection committees will assess and verify the categorization and scores of publications.

2. The API for joint publications will have to be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the first/Principal author and the corresponding author/supervisor/mentor of the teacher would share equally 60% of the total points and the remaining 40% would be shared equally by all other authors :

Provided that for filling up the posts of Principal (College Cadre) Class-I (Gazetted) the following 04 points roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st	Promotee
2nd	Promotee
03rd	Promotee
04th	Direct

Note.—This roster will be rotated after every 04 point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion :

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) *supra* the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II:—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba Distt.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur, Tehsil & Distt., Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation- III.—For the purpose of proviso (I) *supra* the Remote/Rural Areas shall be as under:—

1. All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter

2. All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

3. Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(*i*) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the provisions Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or

recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(*ii*) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission. The process of selection shall involve inviting the bio-data with duly filled Performance Based Appraisal System (PBAS) performa developed by the Department of Higher Education for teachers in all Government Colleges, based on the Academic Performance indicator (API) criteria based PBAS given in Column No. 7 above and reprints of five major publications of the candidates:

Provided that such publications submitted by the candidate shall have been published subsequent to the period from which the teacher was placed in the Assistant Professor stage-II.

The Screening-*cum*-Evaluation Committee constituted by the Himachal Pradesh Public Service Commission, while undertaking screening process shall verify/evaluate the Academic Performance Indicator (API) Score in PBAS.

After due screening process undertaken by the Screening-*cum*-Evaluation Committee, the Selection Committee comprising of the Chairman/Member(s), Himachal Pradesh Public Service Commission, or their two representatives or nominees, two reputed educationists and three experts, not below the rank of University Professors (In case none of the above members is from SC/ST/OBC/Minority/Women/differently-disabled categories and a candidate representing these categories is the applicant than an academician representing these categories may be nominated by the Chairperson of the HP PSC), shall make the final selection as under:—

(*a*) Academic Background (20%)

(*b*) Research performance based on API score and qualify of publications (40%)

(*c*) Assessment of domain knowledge and teaching skills (20%). This assessment shall be made as under:—

(*i*) Assessment of aptitude for teaching research and administration (20%);

(*ii*) Ability to communicate clearly and effectively (10%);

(*iii*) Ability to plan institutional programmes, analyse, discuss curriculum development, research support and college development/administration (20%);

(*iv*) Ability to deliver lecture programmes to be assessed by requiring the candidate to participate in a group discussion or exposure to a class room situation by a lecture (10%); and

(*v*) Analysis of the merits and credentials of the candidates on the basis of the Performance Based Appraisal System (PBAS) proforma to be developed by the concerned recruiting agency (deduced to 40% of the total API score):

Provided further that such publications shall be provided to the subject expert for assessment before the interview and the evaluation of the publications by the experts shall be factored into the weightage scores while finalizing the outcome of selection.

(*d*) Interview performance (20%).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes & Economical Weaker Section issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th March, 2020

No. HHC/GAZ/14-53/74-VI.— In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre District Judges/Additional District Judges are hereby ordered with immediate effect:—

1. Sh. Krishan Kumar, Additional District and Sessions Judge-II, Kangra at Dharamshala is posted as Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Kangra at Dharamshala to try the offences exclusively under the POCSO Act.

2. Smt. Aparna Sharma, Additional District and Sessions Judge-I, Mandi is posted as Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Mandi to try the offences exclusively under the POCSO Act.

3. Smt. Parveen Chauhan, Additional District and Sessions Judge-I, Solan is posted as Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Solan to try the offences exclusively under the POCSO Act.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th February, 2020

No. HHC/GAZ/14-255/2002-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to *grant ex-post facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 17-02-2020 to 19-02-2020 in favour of Smt. Kanta Verma, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Smt. Kanta Verma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2020

No. HHC/GAZ/14-292/2006-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 07 days earned leave *w.e.f.* 29-12-2019 to 04-01-2020 with permission to suffix Sunday fell on 05-01-2020 in favour of Shri Dhiru Thakur, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Amb, H.P.

Certified that Shri Dhiru Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Dhiru Thakur would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Amb, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2020

No. HHC/GAZ/14-326/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 20-01-2020 to 23-01-2020 in favour of Smt. Monika Sombal, Civil Judge-*cum*-JMIC, Barsar, H.P.

Certified that Smt. Monika Sombal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Monika Sombal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMIC, Barsar, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2020

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMIC, Chopal, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Rohru, H.P., Civil Judge-cum-JM(II), Rohru, H.P. and Civil Judge-*cum*-JMIC, Jubbal and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Courts under Major head "2014 Administration of Justice" with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla the 25th February, 2020

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-*cum*-ACJM(I), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Theog, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" with immediate effect 26-02-2020 to 03-03-2020.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th February, 2020

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Theog, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-I, Rohru, H.P., Civil Judge-*cum*-JM(II), Rohru, H.P. and Civil Judge-*cum*-JMIC, Jubbal and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Courts under Major head "2014 Administration of Justice" with immediate effect.

By order,

Sd/-
Registrar General.

CHANGE OF NAME

I, G.S. No. 161234P Supdt. B/R II Lekh Raj Saklani s/o Bhagi Rath, Village Badar, Post Office Rakhoh, Tehsil Sarkaghat, H.P. declare that my wife name wrongly mention in my service record as Tripta Saklani correct name Tripta Devi and date of birth 29-11-1963. Please note.

LEKH RAJ SAKLANI
s/o Bhagi Rath, Village Badar, Post Office Rakhoh,
Tehsil Sarkaghat, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है